अशासकीय पत्र संख्या–1 / शा0 / 82 / 2019–1 / 494 / 2019
लखनऊः दिनांकः 17 मार्च, 2020

आहरण एवं वितरण अधिकारी /
अपर निदेशक(प्रशा0)
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–7 / 2020 / 748(1) / 33–3 –2020–100(17) / 2015 दिनांक 13.03.2020 में वित्तीय वर्ष 2019–20 में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 5541.94 लाख के सापेक्ष अनुदान सं0–83 में भारत सरकार द्वारा पूंजीगत मद में प्राप्त केन्द्रांश **रू0 7,88,49,000+10,00,00,000=17,88,49,000 / –(रू0 सत्रह करोड़ अट्ठासी लाख उन्चास हजार मात्र)** की धनराशि उक्त शासनादेश दिनांक 13.03.2020 में निहित निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त की गयी है, जो निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित किया जाता है–

1– निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1 / 2019 / बी–1–170 / दस–2019–231 / 2019 दिनांक 22.03.2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही / अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

3– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

4– धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन / दिशा–निर्देश तथा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा आवंटित की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण / सत्यापन का दायित्व आपका होगा।

5– आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को नियमानुसार समायोजन निर्धारित लेखांशीर्ष में जमा कराने का दायित्व आपका होगा।

6– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशों / अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

7– आवंटित की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया / व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाये।

9– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4 / 2018 / आर0जी0–1021 / दस / 2018–मित0–1 / 2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10–आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आपका होगा।

11–आवंटित धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार / मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों / भागों में उपलब्ध करायी जायेगी।

12–स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

13–निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

14–उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान सं0–83 के लेखाशीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ–0104–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आर0जी0एस0ए0)(के060/रा040–के0+रा0)–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15–भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आर0जी0एस0ए0) की गाईडलाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से विजया बैंक, 1/33 ए, विजयखण्ड, गोमतीनगर में खोले गये खाता सं0–713401621000005, आई0एफ0एस0सी0 कोड–VIJB0007134 में जमा किया जायेगा।

16–योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

17–योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश आपके स्तर से किया जायेगा।

18–योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

19–आवंटित की जा रही धनराशि हेतु आर0जी0एस0ए0 योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश सं0–4183/33–3–2018–15 सी0एम0/2013 टी0सी0 ।। दिनांक 10.12.2018 एवं अन्य दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–16 पर अंकित हैं।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः–1/शा0/82/1/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 13.03.2020 के क्रम में।
2. विशेष वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
7. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–21100।
8. उपनिदेशक (पं0), योजना प्रभारी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-17/03/2020

प्रेषण संख्या:- 1-661-2019-01-494-2019
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-494-2019
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
04 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-आर0जी0एस0ए-के-60-रा-40
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	178849000 178849000	178849000 178849000
	योग	वर्तमान प्रगामी	178849000 178849000	178849000 178849000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ अठासी लाख उनचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ अठासी लाख उनचास हजार

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी